UPSI010005602016

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, सीतापुर।

उपस्थितः विजय कुमार आजाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या–70/2016

सी०आई०एस० नं०– 70/2016

सरकार .....अभियोजक।

बनाम

अरशद अली पुत्र स्व० शौकत अली उम्र 48 वर्ष निवासी कन्दली औरंगाबाद, थाना मिश्रिख, जनपद सीतापुर। .....अभियुक्त।

मु०अ०सं०–263/2015
धारा–498ए,306 भा०दं०सं०
थाना–मिश्रिख, जिला–सीतापुर।

निर्णय

1– अभियुक्त अरशद अली के विरुद्ध यह केस धारा 498ए,306 भा०दं०सं० के दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा मो० मुईन खां द्वारा एक तहरीर दिनाँक 22.09.2015 को इस आशय से दी कि वादी ने अपनी पुत्री नजमा खातून की शादी आज से आठ वर्ष पूर्व अरशद अली पुत्र शौकत अली मो० कन्दली, औरंगाबाद, थाना मिश्रित जनपद सीतापुर से की थी। शादी में हैसियत के मुताबिक दान–दहेज भी दिया था, जिससे वह संतुष्ट नहीं हुए और शादी के बाद से अक्सर ससुराल वाले कम दहेज का उलाहना देकर प्रताड़ित करने लगे थे। मेरी लड़की जब घर आती थी, तो सारी बात बताती थी, चूँकि रिश्तेदारी की थी, इसलिये समझाते बुझाते रहे और लड़की को भेजते रहे, लेकिन उनके आचरण में कोई सुधार नहीं आया। इसरार पुत्र मो० रईस व अब्दुल रहमान तथा परवेज खां पुत्र गुलाम वारिस व मास्टर अबरार पुत्र जहूर हसन की मौजूदगी में दामाद अरशद अली व उसके परिवार वालों को समझाया बुझाया गया था, किन्तु फिर भी यह लोग अपने आचरण में सुधार नहीं ला सके। फलस्वरूप दिनाँक 20.09.2015 को अरशद अली व अरशद अली की बहन फूलजहां अविवाहित तथा श्रीमती शाहजहां (विधवा) द्वारा जलाकर मार डाला, जिसकी सूचना अरशद अली ने स्वयं दूरभाष से वादी को समय 12.00 बजे दिन में दी थी।

3– वादी तहरीर के आधार पर थाना मिश्रित में अ०सं० 263/2015 अन्तर्गत धारा 498ए,302 भा०दं०सं० व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अभियुक्त अरशद अली, फूलजहां एवं शाहजहाँ के विरुद्ध मुकदमा दिनाँक 22.09.2015 को पंजीकृत किया।

विवेचक, कौशल किशोर मिश्र ने बाद विवेचना, पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए केवल अभियुक्त अरशद अली के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 498ए,306 भा०दं०सं० न्यायालय में प्रेषित किया। शेष अभियुक्तगण फूलजहाँ एवं शाहजहाँ की नामजदगी गलत पाते हुए उनके विरुद्ध विवेचना समाप्त कर दी।

4– अभियुक्त अरशद अली के विरुद्ध दिनांक 03.06.2016 को धारा 498ए, 306 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियोजन ने अपने कथानक को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया है :–

क्रम सं०	साक्षी क्रमांक	नाम साक्षीगण	साक्षी/विशेषज्ञ
1	पी०डब्लू०–1	मो० मोईन खां (वादी मुकदमा)	तहरीर वादी, प्रदर्श क–1,
2	पी०डब्लू०–2	इसरार	
3	पी०डब्लू०–3	अबरार	
4	पी०डब्लू०–4	नसरीन बानों	पंचान साक्षी
5	पी०डब्लू०–5	डा० मो० अनवर	पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2
6	पी०डब्लू०–6	महेन्द्र प्रताप सिंह (एस०आई०)	पंचायतनामा प्रदर्श क–3, नमूना मोहर प्रदर्श क–4, फोटो नाश प्रदर्श क–5 चालान नाश प्रदर्श क–6, चिट्ठी आर०आई० प्रदर्श क–7, चिट्ठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–8
7	पी०डब्लू०–7	हे०कां० सुरेश कुमार	एफ०आई०आर० प्रदर्श क–9, रपट संख्या–23 प्रदर्श क–10, मूल जी०डी० का विनिष्टिकरण प्रमाणपत्र प्रदर्श क–11
8	पी०डब्लू०–8	जलालुद्दीन	फर्द बरामदगी गवाह
9	पी०डब्लू०–9	के०के० मिश्रा, निरीक्षक विवेचक	रिटायर्ड निरीक्षक, नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, फर्द प्रदर्श क 13, आरोप–पत्र प्रदर्श क–14

6– अभियुक्त अरशद अली ने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में अभियोजन कथानक को असत्य होना कहा है। पी०डब्लू० 1 मोईन खां के बयान में, अभियुक्त अरशद द्वारा सूचना देने वाली बात सत्य और शेष असत्य होना कहा है। पी०डब्लू० 2 इसरार ने झूठा बयान दिया है। पी०डब्लू० 3 अबरार हसन द्वारा झूठा आरोप लगाना कहा है। पी०डब्लू० 4 नसरीन, पी०डब्लू० 5 डाक्टर मो० अनवर के बयान के बारे में कुछ नहीं कहा है। पी०डब्लू० 6 महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गलत तथ्यों पर कार्यवाही करना कहा है। पी०डब्लू० 7 सुरेश कुमार के बयान के बारे में कुछ नहीं कहा है। पी०डब्लू० 8 जलालुद्दीन द्वारा गलत बयानी करना कहा है। पी०डब्लू० 9 के०के० मिश्रा विवेचक द्वारा गलत तथ्यों पर विवेचना करके आरोपपत्र प्रस्तुत करना कहा है। अपने विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चलना और

गाँव वालों द्वारा झूठी गवाही देना कहा है। सफाई साक्ष्य देना कहा है, परन्तु कोई सफाई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है।

7– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त को झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विवेचक ने त्रुटिपूर्ण विवेचना की है। अतः अभियुक्त रिहा करने की कृपा करें।

8– अभियोजन ने कहा कि अभियुक्त ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को अतिरिक्त दहेज न मिलने पर उसको जलाकर मार डाला है। इस तथ्य को सभी साक्षियों ने संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

9– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

10– साक्षी पी०डब्लू० 1 वादी मोइन खां ने कहा कि घटना दिनांक 20.09.2015 की है। मृतका नजमा खातून उर्फ मेहरदरक्शा उसकी पुत्री थी, जिसकी शादी घटना से लगभग 8 वर्ष पूर्व हाजिर अदालत अभियुक्त अरशद अली के साथ अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर की थी। दिये गये दान दहेज से अभियुक्त व उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद से ही कम दहेज का उलाहना देकर प्रताड़ित करने लगे थे। मेरी लड़की जब–जब घर आती थी तो सारी बाद रो–रोकर बताती थी। चूँकि अभियुक्त के घर से पहले से रिश्तेदारी थी। इसलिये समझा–बुझाकर अपनी लड़की को भेज देते थे। घटना के एक हफ्ते पहले मैंने अपनी लड़की को आखिरी बार समझा–बुझाकर उसके ससुराल अरशद के साथ भेजा था, जबकि हमारी बेटी जाने के लिये तैयार नहीं थी। कह रही थी कि पापा मुझे न भेजो मेरे शौहर व इनके परिवार के लोग फूलजहां, शाहजहां मुझे मार डालेंगे। फिर भी मैंने अरशद को समझाकर उसके साथ अपनी पुत्री को दिनाँक 13.09.2015 को भेज दिया था।

11– दिनांक 20.09.2015 को समय लगभग 12 बजे अरशद अली ने स्वयं फोन करके बताया था कि आपकी बेटी जल गयी है। सूचना पर मैं उसकी ससुराल पहुंचा तो पता चला कि सीतापुर जिला अस्पताल में उसकी लाश पड़ी है। सीतापुर जिला अस्पताल मैं पहुँचा। मरचरी में शव रखा हुआ था। शव पूरा जला हुआ था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। शव की स्थिति देखकर मैं बहुत परेशान था। उपस्थित लोगों से जलने का कारण पूछा तो पति व ससुराल वालों द्वारा बांधकर उसकी बेटी को जला देना बताया गया तो मैं थाने घटना की सूचना देने पहुँचा। थाने में बैठे एक व्यक्ति से घटना का हाल बताकर प्रार्थनापत्र लिखवाकर दिया। शामिल पत्रावली तहरीर साक्षी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा यह वही प्रार्थनापत्र है, जो मैंने थाने पर दिया था, जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया, परन्तु यह प्रार्थना पत्र मुझसे उस दिन ले लिया गया था लेकिन मेरी रिपोर्ट उस दिन दर्ज नहीं की गयी थी। मेरी रिपोर्ट दिनाँक 22.09.2015 को पुनः पैरवी करने पर दर्ज की गयी थी।

12– वादी मोइन खां ने जिरह में कहा कि मैंने अपनी लड़की नजमा खातून उर्फ दरक्शा (मृतका) की शादी हाजिर अदालत अभियुक्त अरशद के साथ की थी। अरशद से मेरी पुत्री को तीन बच्चे हुए थे, वह बच्चे अरशद के पास हैं। घटना की सूचना अरशद ने मुझे दिया था। मुझे नहीं मालूम कि मेरी पुत्री नजमा को अस्पताल में किसने भर्ती कराया था। मैंने भर्ती नहीं कराया था। शादी और घटना के मध्य वाले समय में मैंने अरशद के विरुद्ध कोई प्रार्थनापत्र लड़की को प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में किसी अधिकारी को नहीं दिया था।

13– तहरीर मेरे द्वारा दी गयी है। तहरीर की 19 वीं, 20 वीं, 23 वीं, 17 वीं, 18 वीं लाईन के अंत में एवं तहरीर में नीचे से चौथी लाईन में बढ़ोत्तरी मेरे द्वारा या तहरीर

लेखक द्वारा नहीं की गयी है। यह बढ़ोत्तरी थाने में तहरीर देने के बाद की गयी है। मैंने थाने पर तहरीर दिनांक 20.09.2015 को दी थी, परन्तु तहरीर में 20 तारीख को 22 तारीख बनाया गया है। इसकी मैं वजह नहीं बता सकता। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है।

14– मृतका नजमा का अंतिम संस्कार उसके पति अरशद ने किया था। मैं व मेरे घर के लोगों ने मृतका की जनाजे की नामाज में शिरकत नहीं किया था और न ही उसको मिट्टी दिया था। यह कहना सही है कि शादी के आठ वर्ष बाद की घटना है। मुझे नहीं मालूम शोर पर घर व गाँव वाले मौके पर पहुंचे हो और मेरी पुत्री की शरीर की आग बुझाई हो। मुझे यह भी नहीं मालूम की अभियुक्त व गाँव वालों ने मेरी पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराया हो। मुझे यह भी नहीं मालूम कि इस दौरान मेरी पुत्री की मृत्यु हो गयी हो।

15– घटना स्थल का निरीक्षण मेरी निशानदेही पर दरोगा जी ने नहीं किया था। दरोगा जी ने अपने मनमाने तरीके से लिखा–पढ़ी का कार्य किया था। यह कहना सही है कि मेरी पुत्री दरक्शा के, मेरे दामाद के साथ मधुर सम्बन्ध रहते थे। आपस में दोनों की बहुत बनती थी। बीमारी की हालत में मैं इलाज कराता था।

16– मैंने दरक्शा के शरीर को देखा था। शरीर कहीं–कहीं हल्का जला था। मैंने अपनी पुत्री दरक्शा की शादी अरशद के साथ करते समय, मुझसे जो बन पड़ा मैंने उपहार समझकर दिया था।

17– मेहर धनराशि 21000/– रुपये तय हुए थी। इस मेहर धनराशि को अरशद कभी अदा नहीं कर पाया क्योंकि अरशद बहुत गरीब आदमी था।

18– मैंने थाने में बैठे एक व्यक्ति से हालात बताकर प्रार्थनापत्र लिखाया था। मैं लेखक का नाम व पता नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि घटना का हाल इस व्यक्ति द्वारा मुझे बताया गया। मैं उसका नाम व पता नहीं बता सकता। मुझे उसके नाम व पते की जानकारी नहीं है। मैं पंचनामा के समय मौजूद नहीं था। मैं अपनी पुत्री को अस्पताल में देखने के बाद घर वापस चला गया था। मैं अंतिम क्रिया में सम्मिलित नहीं हुआ था।

19– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अपनी पुत्री को, अरशद अली के द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना–पत्र किसी भी अधिकारी को नहीं दिया है। यह सही है कि मेरे दो नाती व एक नातिन है, जिनके मेरे घर आना–जाना नहीं है, परन्तु मैने उन्हें पहनने के पकड़ों की व्यवस्था कर देता हूँ क्योंकि मेरे नातिन व नाती गरीब परिवार से हैं।

20– साक्षी पी०डब्लू० 2 इसरार ने कहा कि वादी मुकदमा मेरे मोहल्ले के रहने वाले हैं। मेरा मकान वादी मुकदमा के मकान से छः–सात घर दूर है। इनकी लड़की नजमा खातून उर्फ दरक्शा (मृतका) हाजिर अदालत अभियुक्त अरशद को व्याही थी। शादी घटना से आठ वर्ष पूर्व हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार मुईन ने दान–दहेज दिया था। दिये गये दान–दहेज से ससुराल वाले खुश नहीं थे। मृतिका के तीन बच्चे थे। घटना दिनाँक 20.02.2015 की है। घटना से आठ दिन पहले मृतिका व उसके पति अरशद अली के मध्य दहेज सम्बन्धी विवाद को लेकर सुलह हुई थी, जिसके बाद मृतिका ससुराल गयी थी, जिसके एक सप्ताह बाद पप्पू जो कि मेरे मोहल्ले का निवासी है, ने मुझे सूचना दी थी कि दरक्शा की मृत्यु हो गयी है। मैं अंतिम संस्कार में नहीं गया था। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ नहीं किया था।

21– इसरार ने जिरह में कहा कि मेरे सामने कभी कोई दहेज की माँग नहीं की गयी थी। इस घटना के बाबत किसी पुलिस वाले ने मेरे बयान नहीं लिये, न ही कोई पूछताछ किया, पुलिस ने मेरे बयान में यह बात कि " नजमा खातून अपने मायके को गरीब समझकर कुण्ठित रहती थी। इसी कारण उसने एकांततः का लाभ उठाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल

डालकर, आग लगाकर स्वयं आत्महत्या कर लिया " लिखा है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मृतका का अंतिम संस्कार कहां हुआ था, मुझे नहीं मालूम। मृतका के तीन बच्चे अभियुक्त अरशद के पास रहते हैं।

22– साक्षी पी०डब्लू० 3 अबरार ने कहा कि मृतिका दरक्शा, मुईन की पुत्री थी, जो मेरे पड़ोसी हैं। इनके घर से मेरा आना–जाना है। मृतिका को मैं बचपन से जानता था, बहुत सीधी थी। मुझे चाचा कहती थी, जिसका निकाह हाजिर अदालत अभियुक्त अरशद के साथ हुआ था। शादी के बाद जब भी वह आती थी, तब मेरे घर जरूर आती थी और बताती थी कि ससुराल में अरशद दहेज को लेकर मारता–पीटता था तथा परेशान करता था और यह भी बताती थी कि ननद भी परेशान करती थी। घटना से 15 दिन पूर्व झगड़े के बाद मृतका सण्डीला आयी थी और एक सप्ताह रुकी थी, फिर अरशद लिवाने आया, जहां दिनांक 13.09.2015 को सुलह–समझौता हुआ था, जिसमें अरशद ने अपनी गलती मानी थी और कहा की अब शिकायत नहीं मिलेगी, तब मोईन अपनी लड़की को अरशद के साथ भेज दिया था। उसके एक सप्ताह बाद लड़की के मर जाने की सूचना मिली थी। उस दिन मैं घर पर नहीं था। वापस आने पर पता चला कि दरक्शां को मार दिया गया है तो मैंने मोईन से कहा कि मुझे पहले ही शक था कि ये लोग उसे सही ठंग से नहीं रखेंगे, मार देंगे। दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

23– अबरार हसन ने जिरह में कहा कि इस घटना में शाहजहां, फूलजहां व ससुरालीजनों की संलिप्तता नहीं है, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैं मृतका के अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हुआ था। मैं अस्पताल भी मृतका को देखने नहीं गया था। घटना की सूचना अभियुक्त अरशद द्वारा दी गयी थी। कथित घटना के समय अपने घर पर नहीं था। मैं लखनऊ में था। शाम को घर वापस आ गया था।

24– यह कहना सही है कि अभियुक्त अरशद, वादी के पहले से रिश्तेदार थे। मुझे नहीं पता कि अरशद ने मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया या नहीं। यह भी पता नहीं है कि मृतका का अंतिम संस्कार अभियुक्त द्वारा किया या नहीं। मोईन खां व उनका परिवार लड़की की ससुराल गये थे और उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे यह मैं नहीं बता सकता। मेरे सामने अरशद ने कभी मृतका से दहेज आदि की कोई माँग नहीं की। मेरे सामने अभियुक्त अरशद व मृतका नजमा के मध्य कोई विवाद नहीं हुआ।

25– वादी मोईन का मकान मेरे मकान से चार से पाँच मकान छोड़कर करीब दो सौ मीटर दूर है। मोईन के घर मेरा रोज आना–जाना नहीं होता है, पर त्योहार में आना–जाना होता है। मोईन भी मेरे यहां रोज नहीं आते हैं, कभी–कभी आते हैं। गली से निकलने पर बातचीत हो जाती है। आज मोईन मुझे गवाही के लिये नहीं लाये थे, लेकिन बताया था कि मुझे गवाही देनी थी। इसलिये मैं आ गया हूँ। तारीख मोईन ने बतायी थी, तब मैं आया हूँ।

26– साक्षी पी०डब्लू० 4 नसरीन बानो ने कहा कि आज से करीब छः वर्ष पहले की बात है। मृतका नजमा उर्फ दरक्शां के शव के पंचायतनामे की लिखा–पढ़ी मेरे सामने हुई और लिखा–पढ़ी पुलिस वालों ने की थी। पंचायतनामे पर मैंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। साक्षी ने बने पंचायतनामा पर अपने हस्ताक्षर की तस्दीक की। मैंने पुलिस वालों को यही बयान दिया था। नसरीन बानो ने जिरह में कहा कि मेरा पुलिस वालों ने कोई बयान नहीं लिया, सादे कागज पर मेरे हस्ताक्षर बनवाया था। मेरे सामने कोई लिखा–पढ़ी नहीं की थी।

27– साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० अनवर ने कहा कि दिनाँक 21.09.2015 को मैं एम०ओ०, सी०एच०सी० महमूदाबाद के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी पी०एम० हेतु ड्यूटी थी। मृतका नजमा उर्फ दरक्शां बानों पत्नी अरशद खां के शव का पोस्टमार्टम मैंने किया था। शव सील मोहर में दिनाँक 21.09.2015 को समय 02.30 पी०एम० पर मर्चरी

में लाया गया था। पोस्टमार्टम की कार्यवाही 02.40 पी०एम० पर प्रारम्भ की थी, शव के साथ पुलिस पेपर भी लाये थे। शव को शशिधर मिश्रा थाना कोतवाली लेकर आये एवं शव की पहचान अरशद अली पुत्र शौकत अली ने की थी। मृतका जिला चिकित्सालय सीतापुर में एडमिट थी, जो 01.35 पी०एम० पर दिनाँक 20.09.2015 को एडमिट हुई थी। मृतका की उम्र 30 वर्ष, औसत कद, काठी की थी, ऊंचाई 155 सेमी की थी। पी०एम० स्टेनिंग पीठ में दाहिनी तरफ मौजूद थी। मृत्यु पश्चात् अकड़न ऊपरी सिरे से जा रही थी और निचले सिरे पर मौजूद थी। मृत्यु पूर्व चोटें (बर्न इंजरी)– सुपरफीशियल डीपबर्न पूरे शरीर में मौजूद थी, पीठ में दाहिनी तरफ और पेट के ऊपरी भाग दाहिनी तरफ को छोड़कर स्किन जगह–जगह से उधड़ी हुई थी, जगह–जगह पर साईन रेडनेस मौजूद थी। सिर के बाल, भौं और गुप्तांग के बाल झुलसे हुए थे। आंतरिक परीक्षण– मस्तिष्क व उसकी झिल्लियां कंजेस्टेड थी। दोनों फेफड़े कंजेस्टेड थे, हृदय का दाहिनी चेम्बर भरा हुआ था और बायां खाली था। आमाशय में 50 एम०एल० तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत जगह–जगह फटी थी, बड़ी आंत का ऊपरी हिस्सा भरा था, नीचे खाली थी। लीवर, स्पलीन कंजेस्टेड थे। पित्ताशय आंशिक भरा था। बच्चेदानी खाली थी। मृतका की मृत्यु दिनाँक 20.09.2015 को समय 04.35 पी०एम० पर जिला चिकित्सालय सीतापुर में हुई थी। मृत्यु का कारण– मृतका की मृत्यु, मृत्यु से पूर्व बर्न इंजरी से उत्पन्न शॉक के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मूलप्रति सीलबन्द लिफाफा एवं नौ पुलिस पेपर साथ में लाये। क०नि० शशिधर मिश्रा को सुपुर्द कर दिये थे। पी०एम० रिपोर्ट 816/2015 दिनांक 21.09.2015 मेरे लेख व हस्ताक्षर में शामिल पत्रावली है। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया है।

28– डाक्टर मो० अनवर ने जिरह में कहा कि मृतका के शव की पहचान उसके पति ने की थी। मृतका के बाल, भौं के बाल व गुप्तांग के बाल झुलसे थे, लेकिन जले हुए नहीं थे। बर्न इंजरी के अतिरिक्त मृतका के शव पर कोई अन्य इंजरी मृत्यु दौरान पोस्टमार्टम में नहीं मिली थी। पोस्टमार्टम करने के बाद मृतका की बॉडी उसके पति अरशद को सुपुर्द कर दी थी। मैं यह नहीं बता सकता कि यह बर्न इंजरी मृतका द्वारा स्वयं कारित की गयी या अन्य प्रकार से आयी है। मृतका के शव पर केरोसीन की बदबू नहीं आ रही थी। विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

29– साक्षी पी०डब्लू० 6 महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा है कि दिनाँक 21.09.2015 को मैं थाना कोतवाली सीतापुर में एस०आई० के पद पर तैनात था। उसी दिन मृतका दरक्शां बानों पत्नी अरशद खां का पंचायतनामा करने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर मैं सम्बन्धित समस्त कागजात लेकर जिला अस्पताल मरचरी पहुँचा था। शव मरचरी रूम में रखा था। मरचरी से बाहर शव को निकलवाकर मेरे द्वारा पंचायतनामा भरा गया। मौके पर मायके का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अभियुक्त अरशद अली से बात की गयी वह मौके पर उपस्थित था। वहां पर उपस्थित लोगों में से पचांग नियुक्त करके उनकी राय अंकित करी थी। मृत्यु का सही कारण जानने के लिये शव का पोस्टमार्टम कराना आवश्यक था। मृतका के शव को सील मोहर करके पोस्टमार्टम के लिये कां० शशिधर मिश्रा को शव को सुपुर्द कर दिया था। पंचायतनामा की कार्यवाही दिनाँक 21.09.2015 को समय 12.50 बजे शुरु की गयी थी और 14.20 बजे समाप्त किया। शामिल पत्रावली पंचायतनामा व उसके समस्त कागजात मेरे हस्तलेख में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। पंचायतनामा पर प्रदर्श क–3 डाला गया। शामिल पत्रावली नमूना मोहर पर प्रदर्श क–4, फोटोनाश पर प्रदर्श क–5 व चालाननाश पर प्रदर्श क–6 व चिट्ठी आर०आई० पर प्रदर्श क–7 चिट्ठी सी०एम०ओ० पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

30– महेन्द्र प्रताप सिंह ने जिरह में कहा कि मैं यह नहीं बता सकता कि पंचनामा करने के बाद मुझे किस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सूचना दी गयी थी। यह कहना सही है कि राय पंचांग नियुक्त करते समय मृतका के मायके का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। हाजिर अदालत मुल्जिमान अरशद व उसके परिवार वाले मौजूद थे। यह सही है कि नियुक्त पंचांग में हाजिर अदालत मुल्जिम को क्रम संख्या–1 पर राय पंचांग नियुक्त किया गया था। मैं नहीं बता सकता कि लाश को निकालते समय लाश का सिर व पैर किस दिशा में था। लाश को सील करते समय मैंने यह नहीं देखा कि शरीर का कौन से हिस्सा जला नहीं है। पंचनामा की कार्यवाही करने में दो घण्टे का समय लगा था।

31– साक्षी पी०डब्लू० 7 हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने कहा कि दिनांक 22.09.2015 को वह थाना मिश्रिख में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसकी ड्यूटी थाना कार्यालय के कम्प्यूटर पर थी। मो० मुईन खां ने हस्तलिखित तहरीर थाने पर अपने हस्ताक्षर कर प्राप्त कराई थी, जिसके आधार पर मु०अ०सं० 263/15 अं०धारा 498ए, 302 आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी०एक्ट बनाम अरशद अली व दो अन्य के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी। शामिल पत्रावली एफ०आई०आर० साक्षी के द्वारा किता करके निकाला गया था, जिसकी साक्षी ने पुष्ट की, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। उक्त वाद से संबंधित घटना का खुलासा रपट संख्या 23 समय 11.55 दिनांकित 22.09.2015 को एच०एम० शर्मानन्द कुशवाह द्वारा किया गया था, जो उसके साथ उपस्थित थे, जिनके लेख व हस्ताक्षर से साक्षी भली–भांति परिचित है। रपट संख्या 23 उनके लेख व हस्ताक्षर में होने की साक्षी ने पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। शामिल पत्रावली उक्त रपट संख्या 23 कार्बन प्रति है। मूल जी०डी० समयानुसार नष्ट की जा चुकी है, जिसका प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निर्गत होकर शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। सुरेश कुमार ने जिरह में कहा कि मुझे यह पता नहीं है कि विवेचक ने किस दिनाँक व समय पर मेरा बयान लिया था। तहरीर पर वादी मुकदमा के हस्ताक्षर थे। मैं नहीं बता सकता कि तहरीर पर, तहरीर लेखक के हस्ताक्षर थे या नहीं।

32– साक्षी पी०डब्लू० 8 जलालुद्दीन ने कहा कि नजमा खातून की जब मृत्यु हुई थी, तब वह उसको देखने गया था। पुलिस मौके पर आई थी। पुलिस ने उसके सामने मिट्टी के तेल की डिबरी व अधजले कपड़े, कब्जे में लिया था तथा लिखा–पढ़ी की थी तथा उसके दस्तखत करवाया गया था। शामिल पत्रावली फर्द कागज संख्या 7 क/1 पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी उसने पुष्टि की।

33– जलालुद्दीन ने जिरह में कहा कि दरोगा जी, मृत्यु के चार–पाँच दिन बाद मेरे घर आये थे, तब बयान लिये थे। मिट्टी के तेल की ढिबरी जिससे उजाला जलाया जाता है, उसी ढिबरी से तेल डालकर चूल्हे में आग लगायी जाती है। ढिबरी घर में मिली थी, जो लाश के पड़ोस में मिली थी। मकान पक्का बना था। मृतका नजमा खातून के शव के पास में ढिबरी खुली हालत में मिली थी। पुलिस ने मेरा सादे कागज पर दस्तखत बनवाया था, दिन व समय मुझे याद नहीं है। मृतका नजमा खातून दीमागी रूप से काफी कमजोर थी। खाना बनाते समय मिट्टी के तेल से आग लग जाने के कारण नजमा खातून की मृत्यु हो गयी है।

34– साक्षी पी०डब्लू० 9 के०के० मिश्रा निरीक्षक ने कहा कि दिसम्बर 2015 में वह थाना मिश्रिख सीतापुर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उपरोक्त वाद की विवेचना मैंने की थी। दिनांक 22.09.2015 को पर्चा नम्बर 01 किता कर नकल तहरीर नकल रपट सी०डी० अंकित कर उसी दिन एफ०आई०आर० लेखक का० सुरेश कुमार का बयान अंकित किया गया था। उसी दिन हेड मोहर्रिर शर्मानन्द कुशवाहा का बयान अंकित किया। दिनांक 23.09.2015 को पर्चा नं० 02 किता किया गया था, जिसमें गवाह मुईन का

बयान अंकित किया गया। वादी मुईन खां की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया था। नक्शा नजरी शामिल पत्रावली है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा की गई, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। निरीक्षण घटना स्थल से एक डिबरी मिट्टी के तेल की व अधजले गन्दे कपड़े कब्जे में लेकर फर्द तैयार कर सील मुहर किया गया था। फर्द शामिल पत्रावली है, जो साक्षी के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी उसके द्वारा पुष्टि की गई, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। विवेचना करने के उपरान्त कम्प्यूटरीकृत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जिसकी साक्षी ने पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

35– के०के० मिश्रा ने जिरह में कहा कि मैं यह नहीं बता सकता कि विवेचना ग्रहण करने के बाद मैंने वादी का बयान किस दिनाँक व समय को लिया था। आरोपपत्र प्रेषित करते समय मैंने वादी मुकदमा की तहरीर आरोपपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की थी। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ तहरीर संलग्न है तो वह तहरीर मैंने नहीं देखी।

36– मेरे द्वारा नक्शा नजरी में सदाकत व सराफत के कमरे का दरवाजा दर्शाया गया, परन्तु मकान का कोई दरवाजा दर्शाया नहीं गया है कि रुख/दिशा को है। मेरे द्वारा नक्शा नजरी में दर्शाये गये अजबर अली के घर के अन्दर कितने मकान बने हैं, नल आदि लगा है या नहीं, दर्शाया नहीं गया है।

37– मेरे द्वारा अभियुक्त अरशद के घर जहां कथित घटना बतायी जाती है, वहां पर मेरे द्वारा अभियुक्त का आँगन, आँगन में लगा पानी का नल व दीवार पर पड़े छप्पर को को दर्शाया नहीं गया है क्योंकि न तो नल, न बाथरूम घर के अंदर था। मेरे द्वारा नक्शा नजरी में जो 'A' स्थान दिखाया गया है, वह मेरे द्वारा नक्शा नजरी में यह भी लिखा गया है कि मृतका नजमा खातून ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर स्वयं आत्महत्या कर ली हो और मृतका के घर वालों द्वारा 'B' स्थान पर गद्दे व कपड़ों से ढककर आग बुझायी गयी, फिर कहा कि परिजनों द्वारा आग बुझाई गयी।

38– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आज शव मोहर बंडल खोला गया तो उसमें मिट्टी के तेल की गंध नहीं आ रही थी, लेकिन जब कब्जे में लिया गया था, तब आ रही थी।

39– यह सही है कि मेरे द्वारा सर्वसील किये गये कपड़े पर, मेरे हस्ताक्षर के अलावा किसी गवाह का हस्ताक्षर नहीं है। मेरे द्वारा वादी मुकदमा से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलम्ब का कारण नहीं पूछा गया। मेरे द्वारा वादी मुकदमा यह गवाहन से मृतका के दिमागी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं की गयी।

40– अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है एवं अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

41– उपरोक्त मामले में साक्षियों की साक्ष्य के विवेचन से पूर्व आरोपित अपराध पर एक नजर डालना अतिआवश्यक है।

42– **धारा 498ए भा०दं०सं० – किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना** – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिये किसी विधिविरुद्ध माँग को पूरी करने के लिये

प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति के ऐसे माँग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।

43– **धारा 306 भा०दं०सं० – आत्महत्या का दुष्प्रेरण**– यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

44– उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन ने प्रस्तुत मामले में तथ्य के तीन गवाह परीक्षित कराये हैं। वादी ने मुख्य परीक्षा में कहा कि मेरे द्वारा पुत्री के निकाह में दिये गये दान–दहेज से अभियुक्त व उसके परिवारीजन संतुष्ट नहीं थे और शादी के बाद से ही पुत्री को कम दहेज देने की उलाहना देकर प्रताड़ित करते थे। मेरी पुत्री जब भी घर आती थी, तो वह यह बात रो–रोकर बताती थी। चूँकि अभियुक्त के घर में पूर्व से रिश्तेदार थी, इसलिये वह समझा–बुझाकर लड़की को वापस उसके ससुराल भेज देते थे, जबकि जिरह में वादी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने लड़की नजमा की शादी अभियुक्त अरशद के साथ करने के बाद उसकी पुत्री से तीन बच्चे पैदा हुए, वह बच्चे अरशद के पास हैं। वादी को यह भी मालूम नहीं है कि उसकी पुत्री नजमा को जलने से किसने बचाया और इलाज हेतु अस्पताल में किसने भर्ती कराया। यह भी कहा कि मैंने नजमा को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया।

45– वादी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने पुत्री मृतका नजमा की शादी अभियुक्त अरशद अली के साथ घटना से लगभग आठ वर्ष पूर्व की थी। यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त के घर उनकी पहले से रिश्तेदारी थी अर्थात् एक–दूसरे से मेल–जोल व परिचय व एक–दूसरे के घर आना–जाना था। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुत्री के जलने की सूचना स्वयं अभियुक्त अरशद अली ने वादी मोईन खां को फोन करके दी थी। तथ्य के अन्य साक्षी इसरार एवं अबरार ने भी अपने बयान में इस कथन का समर्थन किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त अरशद ने मृतका के जलने की सूचना वादी को फोन से दी थी और जब मृतका नजमा का अंतिम क्रियाकर्म किया जा रहा था तो दोनों साक्षी इसरार एवं अबरार घटना स्थल पर एवं दफनाने के समय भी मौजूद नहीं थे और वादी मोइन खां ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पुत्री के जनाजे की आखिरी नामाज नहीं पढ़ी और न ही उसको मिट्टी दी है।

46– वादी मोईन ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि नजमा की शादी अरशद से होने के बाद, घटना के होने के दिनाँक तक, मैंने अरशद के विरुद्ध कोई भी प्रार्थनापत्र अपनी लड़की को दहेज माँगने व प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी को नहीं दिया था और न ही ऐसा कोई प्रार्थनापत्र अभियोजन ने पत्रावली में दाखिल किया है। वादी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि मेरी पुत्री नजमा उर्फ दरक्शा के पति व मेरे दामाद अरशद के साथ मधुर सम्बन्ध रहते थे। आपस में दोनों की बहुत बनती थी और बीमारी की हालत में नजमा का मैं ही इलाज कराता था। वादी ने घटना के सम्बन्ध में परस्पर विरोधाभाष बयान दिया है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

47– वादी ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि थाने में दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 की 17 वीं, 18 वीं, 19 वीं, 20 वीं, 23 वीं लाईन और आखिरी चौथी लाईन में बढ़ोत्तरी तथा तहीर में अंकित दिनाँक 20.09.2015 को तहरीर में 20 तारीख के स्थान पर 22 तारीख किसने बनाया मैं नहीं बता सकता। स्वयं वादी एवं तहरीर लेखक द्वारा बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है, बल्कि यह बढ़ोत्तरी थाने में तहरीर देने के बाद की गयी है। इस बिन्दु पर वादी मौन है कि उक्त बढ़ोत्तरी तहरीर में, अलग स्याही एवं लिखावट में किसके द्वारा की गयी

है ? इस बिन्दु पर तथ्य के अन्य किसी साक्षी ने कोई बयान नहीं दिया है, जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देता है।

48– वादी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि मृतका नजमा का अंतिम संस्कार उसके पति अरशद ने किया था, जिसका समर्थन साक्षी इसरार एवं अबरार ने अपने बयान में किया है। वादी ने यह भी कहा कि मैं व मेरे घर वालों ने नजमा के जनाजे की नामाज में शिरकत नहीं की थी और न ही उसको मिट्टी दी थी, जबकि घटना शादी के लगभग आठ वर्ष बाद हुई थी। अभियुक्त अरशद के घर में वादी की पूर्व से रिश्तेदारी एवं जान पहचान थी। यह तथ्य अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि कोई माता–पिता एवं उसके परिवारीजन जो अपनी पुत्री की शादी बड़े धूमधाम एवं उत्साह, सम्मान के साथ करें और उसकी मृत्योपरान्त उसको अस्पताल में छोड़कर वापस अपने घर चले आये और उसके जनाजे की नमाज में शामिल न हो और उसको मिट्टी भी न दे। अत्यन्त अविश्वनीय है।

49– वादी ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि मुझे नहीं मालूम की शोर पर घर वाले या गाँव वाले पहुंचे थे और उन्होंने पुत्री की शरीर की आग बुझाई हो और अभियुक्त ने ही उसकी पुत्री को इलाज के लिये अस्पताल में किसने भर्ती कराया हो। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त अरशद के द्वारा फोन पर सूचना देने पर वह उसकी ससुराल पहुँचा तो पता चला कि उसकी लाश जिला अस्पताल सीतापुर में पड़ी है, मरचरी में शव रखा हुआ था, शव पूरा जला हुआ था, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। उपस्थित लोगों ने बताया कि पति व ससुराल वालों ने बांधकर मेरी बेटी को चला दिया था, जबकि मृतका नजमा को बांधकर जलाये जाने का कथन किसी भी तथ्य के साक्षी ने अपने बयान में नहीं किया है। मरचरी में कौन लोग उपस्थित थे, जिन्होंने वादी को यह तथ्य बताया था। वादी ने अपने बयान में उनका नाम नहीं बताया है। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि मैंने थाने में बैठे एक व्यक्ति से तहरीर लिखवायी थी और जिरह में यह भी कहा कि घटना का हाल इस व्यक्ति द्वारा मुझे बताया गया था। वह व्यक्ति कौन था, जिससे वादी ने थाने में तहरीर लिखवायी थी और उसी ने वादी को घटना के बारे में बताया था। उसका नाम पता वादी ने अपने बयान में नहीं बताया है और यह भी कहा है कि मुझे उसका नाम व पते की जानकारी नहीं है। अभियोजन ने उसको साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया है। यह तथ्य अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न कर देता है।

50– वादी मोईन ने अपने बयान में स्वीकार किया कि निकाह में मेहर धनराशि की रकम 21,000/– रुपये तय हुई थी और इस मेहर धनराशि को अरशद अली कभी अदा नहीं कर पाया क्योंकि अरशद बहुत गरीब व्यक्ति था और वादी ही उसकी मदद करता था। उनके तीन बच्चों को पहनने के लिये कपड़े लत्ते भी देते थे, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि वे तीनों बच्चे अरशद के पास ही रह रहे हैं और वह ही उनकी देखभाल कर रहा है। वादी का उपरोक्त कथन विरोधाभाषी है।

51– वादी ने अभियुक्त अरशद के विरुद्ध अपनी मृतका पुत्री नजमा के विरुद्ध क्रूरता कारित करते हुए, अतिरिक्त दहेज की माँग करना कहा है और इसी कारण उसकी पुत्री द्वारा आत्महत्या की है। धारा–113 क भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा रखता है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सक्षी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा

दुष्प्रेरित की गयी थी। इस तथ्य को साबित करने का भार अभियोजन का है। साबित करने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है क्योंकि वादी ने जिरह में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री नजमा और उसके पति अरशद के मध्य मधुर सम्बन्ध थे और आपस में दोनों की बहुत बनती थी और मैंने कभी भी अरशद को क्रूरता करते हुए नहीं देखा। इसी तथ्य का समर्थन साक्षी इसरार एवं अबरार ने अपने बयान में किया। साक्षी इसरार ने कहा कि अरशद ने मेरे सामने कभी कोई दहेज की माँग नहीं की थी। अबरार ने कहा कि मृतका दरक्शा, वादी मोइन की पुत्री थी, जो मेरे पड़ोसी हैं। हमारा एक–दूसरे के यहां खूब आना–जाना है और मैं मृतका को बचपन से जानता हूँ। अबरार ने कहा कि अरशद ने मेरे सामने कभी दहेज आदि की माँग नहीं की और मेरे सामने दोनों के मध्य कभी कोई विवाद नहीं हुआ। उपरोक्त परिस्थितियों में धारा–113क भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा अभियुक्त अरशद के विरुद्ध उपधारित नहीं की जा सकती है, जबकि दोनों का विवाह हुए सात वर्ष से अधिक, आठ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जैसा की वादी ने तहरीर में अंकित करके उसे अपनी साक्ष्य से समर्थित किया है। किसी भी साक्षी ने अरशद द्वारा मृतका नजमा के प्रति क्रूरता कारित करने के तथ्य को अपना साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

52– साक्षी इसरार ने अपने बयान में घटना से आठ दिन पहले दहेज से सम्बन्धित विवाद को लेकर सुलह होना और समझाने–बुझाने के बाद ही मृतका अपनी ससुराल गयी थी। इस तथ्य का समर्थन अबरार ने भी अपने बयान में करते हुए कहा कि घटना से 15 दिन पूर्व झगड़े के बाद मृतका सण्डीला आयी थी और वहां एक सप्ताह रुकी थी। अरशद ने गलती मानी थी, जहाँ दिनांक 13.09.2015 को सुलह–समझौता हुआ था, तब वादी ने अपनी लड़की को अरशद के साथ भेज दिया। इस तथ्य को वादी ने अपनी तहरीर में वर्णित नहीं किया है और बयान में भी इसका उल्लेख नहीं किया है और तथाकथित सुलहनामा भी पत्रावलित नहीं किया है। यह नवीन तथ्य प्रथम बार साक्ष्य के स्तर पर साक्षीगण द्वारा उद्घटित किये जाने के कारण ग्राह्य नहीं है।

53– तथ्य के अन्य दोनों साक्षी इसरार व अबरार हसन ने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि मृतका का अंतिम संस्कार किसने किया, कहां हुआ और वह अस्पताल में या दफनाते समय मृतका को देखने नहीं गये थे और घटना के समय वह घर पर नहीं था, लखनऊ गया हुआ था। शाम को घर वापस आ गये। किसी भी साक्षी को यह भी नहीं मालूम कि वादी, नजमा के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था या नहीं, जबकि वादी ने अपने बयान में जनाजे की नामाज में शामिल होने, शव को मिट्टी देने से स्पष्ट इंकार किया है। तथ्य के दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभाष है।

54– नसरीन बानों ने स्वयं को पंचनामें का साक्षी होना कहा है, लेकिन जिरह में कहा कि पुलिस वालों ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। सादे कागजों पर हस्ताक्षर बनवाया था और मेरे सामने कोई लिखा–पढ़ी नहीं की थी, जबकि पंचनामा करने वाले साक्षी महेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा कि पंचनामा भरते वक्त अभियुक्त अरशद व उसके परिवार वाले मौजूद थे। मृतका नजमा के मायके का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। पंचान में क्रम संख्या–1 पर अभियुक्त अरशद का नाम अंकित किया गया है और छठे साक्षी को भी पंचान नियुक्त किया गया है, जिसमें छठवें पंचान साक्षी नसरीन बानों ने न्यायालय में आकर गवाही दी है, परन्तु अपनी गवाही से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पंचनामा भरने वाले पुलिस कर्मचारी पी०डब्लू० 6 महेन्द्र प्रताप सिंह को यह भी नहीं मालूम कि लाश को निकालते समय उसका सिर व पैर किस दिशा में थे और लाश सील करते समय शरीर का कौन सा हिस्सा जला हुआ था, यह पंचनामा भरते वाले पुलिस कर्मी ने नहीं देखा है, जबकि

वादी ने नजमा का पूरा शरीर जला होना और चेहरा पहचान में न आने का बयान न्यायालय में दिया है, जो पंचनामा की सम्पूर्ण कार्यवाही को संदिग्ध बना देता है।

55– पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी मोइन खां ने घटना की तहरीर दिनाँक 20.09.2015 को थाना मिश्रिख में मुकदमा दर्ज करने के लिये दी थी, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 22.09.2015 को दर्ज की गयी और वादी ने यह भी स्वीकार किया गया कि उसकी तहरीर में अलग हस्तलेख एवं स्याही से बढ़ोत्तरी की गयी है और तहरीर की दिनाँक को ओवरराइटिंग करके 20 के स्थान पर 22 बनाया गया है और यह बढ़ोत्तरी उसने या तहरीर लेखक ने नहीं की है, बल्कि थाने पर ही पुलिस द्वारा की गयी है, जिसका नाम वादी बताने में असमर्थ रहा है। मृतका नजमा की लाश दिनांक 20.09.2015 को अरशद के घर से पुलिस द्वारा बरामाद की गयी थी, फिर किन परिस्थितियों में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब के उपरान्त, दिनाँक 20.09.2015 के स्थान पर दिनाँक 22.09.2015 को थाने पर दर्ज करायी गयी है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब को अपने साक्ष्य से स्पष्ट नहीं किया है, जो सम्पूर्ण तहरीर को संदिग्ध बना देता है।

56– वादी मोइन ने अपने बयान में यह भी कहा कि उसने अभियुक्त अरशद की सूचना पर अस्पताल पहुँच कर अपनी पुत्री नजमा का शव मरचरी में रखा हुआ देखा था। मृतका नजमा का शरीर कहीं–कहीं हल्का जला था, लेकिन शरीर के उस अंग या भाग को अपने बयान में स्पष्ट नहीं कहा है, जबकि जिरह में वादी ने कहा कि नजमा को पूरा शरीर जल गया था और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जिसका समर्थन नक्शा लाश/फोटो नाश प्रदर्श क–5 के अवलोकन से होता है। इस तथ्य को पुनः डाक्टर अनवर ने, पोस्टमार्टम करते समय अपने बयान में कहा कि उन्होनें मृत्यु का कारण मृतका की मृत्यु, मृत्यु से पूर्व बर्न इंजरी से उत्पन्न आघात के कारण होना कहा है, परन्तु डाक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका नजमा कितने प्रतिशत जल गयी थी, इसका उल्लेख नहीं किया है, केवल सुपरफीशियल डीप बर्न पूरे शरीर में मौजूद होना कहा है, लेकिन सिर के बाल, भौं और गुप्तांग के बाल केवल झुलसे होना कहा है, उनका जलना नहीं कहा है, फिर कहा कि मृतका का सम्पूर्ण शरीर जला था। बर्न इंजरी के अतिरिक्त मृतका के शरीर पर अन्य कोई चोट का निशान नहीं मिला था। डाक्टर ने अपने बयान में यह भी कहा है कि मैं नहीं बता सकता कि बर्न इंजरी मृतका द्वारा स्वयं कारित की गयी थी या अन्य किसी प्रकार से आयी थी। मृतका के शव पर केरोसीन की बदबू आ रही थी, जबकि अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त अरशद द्वारा मृतका नजमा को जलाकर मार डालना कहा है। विवेचक के०के० मिश्रा ने अपने बयान में यह कहा कि जब न्यायालय के समक्ष सर्वसील मोहर बंडल खोला गया तो उसमें मिट्टी के तेल की गंध नहीं आ रही थी, जब घटना स्थल पर कब्जा में लिया गया था तो उस समय मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी, जबकि तथ्य के किसी साक्षी ने मिट्टी का तेल मृतका पर डालकर जलाना नहीं कहा है क्योंकि किसी भी साक्षी ने घटना स्वयं होते हुए नहीं देखी है, केवल सुनी–सुनाई बातों के आधार पर गवाही दी है, जो विरोधाभाषी होने के कारण विधि की नजर में अविश्वसनीय है। यह तथ्य सम्पूर्ण अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न कर देता है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले माल इसी मामले से सम्बन्धित है अथवा नहीं ?

57– साक्षी जलालुद्दीन ने अपने बयान में दरोगा जी द्वारा घटना स्थल पर जाकर अध जले कपड़े एवं मिट्टी के तेल की ढिबरी को अपने कब्जे में लेकर लिखा–पढ़ी करके सर्व सील मोहर करना कहा, जिसकी फर्द प्रदर्श क–13 घटना स्थल पर बनायी गयी थी, परन्तु दरोगा जी उक्त अध जले कपड़े एवं मिट्टी के तेल की ढिबरी को जाँच के लिये विधि विज्ञान

प्रयोगशाला नहीं भेजा और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके, उसे अपने साक्ष्य से साबित किया है। इस घटना में केरोसीन अथवा अन्य कौन–सा केमिकल उपयोग किया गया है। इस तथ्य की जाँच नहीं की और उसे घटना कारित करने के लिये कहां से लाया या खरीदा है। एफ०एस०एल० की रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद नहीं है और न ही विवेचक ने इस बिन्दु पर कोई विवेचना की है, जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

58– विवेचक ने अपने बयान में कहा कि उसने मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण वादी मोइन की शिनाख्त पर नक्शा नजरी तैयार किया था, जिसको उसने अपने साक्ष्य से प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया गया है,जबकि वादी मोईन ने अपने बयान में कहा कि घटना स्थल का निरीक्षण मेरी निशानदेही पर विवेचक ने नहीं किया था, दरोगा जी ने अपने मनमाने तरीके से लिखा–पढ़ी का कार्य किया था। नक्शा नजरी में मकान का दरवाजा किधर एवं घर में कितने कमरे बने हैं, पानी का नल कहां लगा है, छप्पर कहां पड़ा है, बाथरूम, किचन कहां बना है, प्रदर्शित नहीं किया है। अधजले कपड़े, गद्दे आदि कहां पड़े थे, लाश के पास मिट्टी के तेल की ढिबरी कहां पड़ी थी, नक्शा नजरी में नहीं दर्शाया है। वादी के कथन के अनुसार विवेचक द्वारा बनाया गया मनमाना नक्शा नजरी जो घटना स्थल के बाबत है, स्वतः संदेह हो जाता है और सम्पूर्ण प्रकरण में विवेचक द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण विवेचना परीलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में घटना स्थल बरामद न होने के कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

59– माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम विशेषतः– तथ्य को साबित करने का भार – जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि विशेषतः ज्ञान रखने वाले तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है, जिसे वह विशेष ज्ञान हो। यह सिद्धान्त तब लागू होगा जब अभियोजन ने अपना केस पत्रावली में दाखिल अन्य साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अन्यथा साबित किया हो। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य अविश्वसनीय, अकल्पनीय, संदेहपूर्ण एवं परस्पर विरोधाभाषी है,जिससे अभियोजन कथानक संदेह से परे साबित नहीं होता है।

60– माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विवेचक द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि मामला अन्यथा साबित हो रहा हो। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक ने त्रुटिपूर्ण विवेचना करते हुए इस तथ्य पर कोई संज्ञान नहीं लिया कि तहरीर में अलग स्याही एवं हस्तलेख में बढ़ोत्तरी किसने की और दिनाँक 20 को ओवरराइटिंग 22 में किसने परिवर्तित किया। तहरीर का लेखक कौन था। क्या मृतका दीमागी रूप से अस्वस्थ थी। वादी ने मुकदमा दर्ज कराने में दो दिन का विलम्ब क्यों किया और घटना में प्रयोग किये जाने वाले तथाकथित केरोसीन तेल से भरी ढिबरी जो मृतका की लाश के पास से अधजले कपड़ों के साथ बरामद फर्द बनायी गयी थी, को जाँच के लिये एफ०एस०एल० नहीं भेजा। एफ०एस०एल० की रिपोर्ट पत्रावली में दाखिल नहीं है। विवेचक ने मनमाने तरीके से बिना वादी की शिनाख्त के घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया, जिसका खण्डन वादी ने अपनी साक्ष्य में किया है। विवेचक ने न्यायालय में साक्ष्य के दौरान सर्व मोहर बण्डल खुलने पर यह कहा कि इसमें मिट्टी के तेल की बदबू नहीं आ रही है और यह भी कहा कि फर्द तैयार करते समय मिट्टी के तेल की बदबू आ रही थी। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन का सम्पूर्ण कथानक संदिग्ध हो जाता है क्योंकि विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना करने एवं तथ्य के साक्षियों द्वारा परस्पर विरोधाभाषी बयान देने का कारण अभियोजन घटना क्रम को संदेह से

परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, जिसका लाभ अभियुक्त अरशद अली प्राप्त करने का अधिकारी है।

61– अभियोजन ने घटना क्रम को साबित करने के लिये तथ्य के तीन साक्षी परीक्षित कराये हैं और वे तीनों साक्षी वादी के पड़ोसी एवं हितबद्ध साक्षी हैं। कोई स्वतंत्र–जन साक्षी परीक्षित नहीं कराया है। उपरोक्त साक्षियों में से कोई भी साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उन्होंने अभियुक्त से घटना की सूचना पाकर वादी के प्रभाव में आकर सुनी–सुनायी हुई बातों के आधार पर न्यायालय में आकर अपना बयान दिया है। वादी ने घटना की तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्त अरशद अली व उसके घर वालों द्वारा उसकी मृतका पुत्री नजमा को जलाकर मार डालना कहा है, जबकि विवेचक ने विवेचना के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध हत्या एवं दहेज हत्या में आरोपपत्र प्रेषित न करके आत्महत्या के अपराध हेतु उकसाने का आरोपपत्र केवल अभियुक्त अरशद अली के विरुद्ध दाखिल किया है। अभियोजन को यह भी स्वीकार है कि घटना शादी के आठ वर्ष बाद हुई है। तहरीर में कम दहेज लाने का उलाहना और प्रताड़ित करने का कथन किया है, परन्तु उसे अपने साक्ष्य से साबित नहीं कर सके हैं। वादी ने अपने बयान में कहा है कि जब उसकी लड़की मायके आती थी तो अभियुक्त अरशद व उसके परिवारीजनों द्वारा प्रताड़ित की जाने की बात अपनी माँ–चाची को रो–रोकर बताती थी, परन्तु अभियोजन ने मृतका की माँ–चाची या मायके का अन्य कोई साक्षी, उस तथ्य के समर्थन में न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया है। वादी ने यह भी कहा कि मरचरी में उपस्थित लोगों ने उसे बताया कि उसकी पुत्री को ससुरालजनों ने बांधकर जला दिया है, लेकिन ऐसा कोई कथन वादी ने अपनी तहरीर में अंकित नहीं किया है, न ही इस बाबत कोई बयान दिया है। वादी व अन्य साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया कि विवाह के उपरान्त घटना से पूर्व लगभग आठ वर्ष में अभियुक्त द्वारा मृतका को दहेज की माँग करते हुए प्रताड़ित करने की कोई शिकायत उनको नहीं मिली और न ही इस बाबत कोई शिकायत थाना अथवा उच्चाधिकारियों को की गयी। वादी ने अभियुक्त द्वारा दहेज मांगना नहीं कहा है, बल्कि विवाह के समय उपहार स्वरूप सामान दिया जाना कहा है। अभियोजन पक्ष ने यह भी स्वीकार किया है कि मृतका नजमा का इलाज अस्पताल में एवं मृत्योपरान्त उसका अंतिम क्रियाकर्म भी अभियुक्त अरशद अली एवं उसके परिवार वालों ने किया, जहां पर मृतका के मायके का कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। वादी मोईन अपनी पुत्री का इलाज न कराकर उसको अस्पताल में छोड़कर अपने घर वापस चला गया और उसके अंतिम क्रियाकर्म में भी शामिल नहीं हुआ, जो वादी पक्ष की भूमिका का संदिग्ध बनाता है। सभी साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभाष है, जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बना देता है।

62– अतः उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त अरशद अली के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 498ए, 306 भा०दं० सं० संदेह से परे सिद्ध नहीं होता है। फलस्वरूप अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है और लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त होने के योग्य है।

आदेश

63– अभियुक्त अरशद अली के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498ए, 306 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

64– अभियुक्त द्वारा धारा–437 (ए) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रतिभूपत्र व बन्धपत्र दाखिल हैं, जो स्वीकार किये गये हैं उक्त प्रतिभू पत्र एवं बन्धपत्र निर्णय की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगें। तदोपरान्त यह बन्धपत्र व प्रतिभू पत्र निरस्त समझे जायेगें।

दिनांक–14.05.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–02, सीतापुर।
J.O.Code–UP6013

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–14.05.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–02, सीतापुर।
J.O.Code–UP6013

Sandeepsteno/–